

1	विभाग का नाम	लघु सिंचाई
2	योजना का नाम	निःशुल्क बोरिंग
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के उत्पादन में वृद्धि हेतु निःशुल्क बोरिंग किया जाता है। इस योजना में चयनित कृषकों का 25 प्रतिशत लाभार्थियों को जल वितरण प्रणाली स्थापित करने हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर एच0डी0पी0ई0 पाइप का वितरण किया जाता है।
4	पत्रता की अर्हता	लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से खसरा व खतौनी की नकल सहित आवेदन
6	लिंक वेबसाइट	http://minorirrigationup.gov.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई अथवा अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।